न्यायालयः राकेश कुमार–III
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 348 / 2026
राघोपुर थाना कांड सं0– 294 / 2024

09 / 06 / 26	**1. जासमीन खातुन पे0 मो0 समसाद** **2. साजदा खातुन पति मो0 समसाद** **3. मो0 साहिल पे0 मो0 समशाद .....आवेदकगण** **बनाम्** **बिहार सरकार.....विपक्षी** _____ प्रार्थी अभियुक्तगण 1. जासमीन खातुन 2. साजदा खातुन एवं 3. मो0 साहिल की ओर से राघोपुर थाना कांड संख्या– 294 / 2024 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका दिखाते हुए दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री जौहर मंडल द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी आवेदकगण एवं सूचक आपस में सगा भाई की पत्नी बेटी एवं बेटा है। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 109, 303(2), 76 BNS के तहत् लगाया गया अरोप नहीं बनता है। उक्त आरोप मुकदमा को गंभीर बनाने के लिए लगाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त का कहना है कि किसी को कोई गंभीर जख्म नहीं पाया गया है तथा ग्रामीण के सहयोग से दोनो भाई सूचिका एवं मुदालह के बीच झगड़ा–झंझट को सुलझा दिया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच मेल व सुलह हो गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों को मानने तथा सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान लोक अभियोजक मो0 अबु जफ़र द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्तों के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत वाद सूचिका खुशबु प्रवीण के लिखित आवेदन के आधार पर प्रार्थी अभियुक्तों सहित कुल पांच अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 126(2), 329(3), 115(2), 117(2), 109, 76, 303(2), 3(5) भा0न्या0सं0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। सूचिका का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 23 / 08 / 2024 के रात के करीब 8 बजे मो0 साहिल, जासमीन खातुन, गरीमा खातुन, सजदा खातुन एवं मो0 समशाद लाठी, रॉड, फरसा से उनपर जानलेवा हमला कर दिया, मो0 समशाद सूचिका के साथ अभ्रद व्यवहार करते हुए रॉड से माथा घायल कर दिया। मो0 साहिल एवं मो0 समशाद उनके पति मो0 नौशाद को फरसा तथा रॉड से उपर का होठ दो भाग में फाड़ दिया, नाक की हड्डी एवं छाती की पसली तोड़ डाला। साजदा खातुन ने सूचिका के पति के सभी दॉत तोड़ दिया। उसकी पुत्री बचाने गयी तो मो0 साहिल ने उसकी पुत्री सानिया प्रवीण उम्र 15 वर्ष को नग्न कर अभद्र व्यवहार करते हुए बाया हाथ तोड़ दिया। उसके पुत्र मो0 समीर को गरीमा खातुन ने चाकू से गर्दन के नीचे चीर दिया तथा रॉड से माथा फाड़ दी। जासमीन खातुन ने घरेलु समान से भरा बक्सा लेकर अपने घर चली गयी। उक्त घटना को स्थानीय लोगों ने देखा जो 112 पर फोन किया तथा रेफरल अस्पताल राघोपुर स्थानीय प्रशासन ने पहुंचवाये जहां सभी का ईलाज चला।	**लगातार**

न्यायालयः राकेश कुमार–III
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 348 / 2026
राघोपुर थाना कांड सं0– 294 / 2024

09 / 06 / 26 **लगातार**	सुना व अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद सूचिका द्वारा प्रार्थी अभियुक्तों पर सूचिका एवं उनके परिवार के सदस्यों को मारपीट कर घायल करने के आरोप में दर्ज कराया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों आपस में भाई हैं एवं एक ही परिवार के सदस्य है तथा पक्षकारों के बीच में सुलह समझौता हो गया है तथा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन के सुनवाई के क्रम में सूचिका खुशबु प्रवीण, उनके पति मो0 नौशाद एवं उनके बेटे मो0 समीर स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए एवं उभय पक्षों के बीच समझौता होने के तथ्य को स्वीकार किया गया एवं अभियुक्तगण को जमानत दिये जाने का भी निवेदन किया गया। उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के द्वारा हस्ताक्षरित सुलहनामा न्यायालय में दाखिल है। अभिलेख पर उपलब्ध जख्म प्रतिवेदन के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि सूचिका एवं अन्य जख्मियों के जख्म साधारण प्रकृति का है तथा प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रार्थी अभियुक्तगण **1. जासमीन खातुन 2. साजदा खातुन एवं 3. मो0 साहिल** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है तथा प्रार्थी अभियुक्तों की गिरफ्तारी या 30 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने कि स्थिति में निम्न न्यायालय अभियुक्तों को मो0 10,000 / – रूपये के समान राशि के दो–दो जमानतदारों के साथ बंधपत्र देने पर धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। लेखापित (राकेश कुमार–**III**) अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल	